न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं0– एम० 18/2017

धारा–144 द०प्र०सं०

विश्व नाथ भोक्ता...प्रथम पक्ष

बनाम

चिन्तामनी मछुवा वगैरह...................द्वितीय पक्ष

	आदेश
9.08.2017	प्रस्तुत वाद में थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या–01/2017 दिनांक 11/06/2017 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निम्न विवादित भूमि को लेकर उभय पक्षों के बीच तनाव है, फलस्वरूप शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है, फलस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ उभय पक्ष को विवादी जमीन पर जाने से साठ दिनों तक रोक लगाया गया। उभय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विवादित जमीन का विवरण

मौजा –बुण्डू थाना – बुण्डू

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहदी
576	3959	03 डी०	

प्रथम पक्ष वाद में उपस्थित होकर उनके विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से अपना कारण पृच्छा दाखिल किया गया। वाद में द्वितीय पक्ष अनुपस्थित रहा।

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने कारण पृच्छा मे निम्न उल्लेख किये है :–

1. विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष के कमांक 01 एवं 02 के माता मोसमात सारथी देवी पति स्व0 चामरा मछुवा निवास ग्राम पुराना बाजार टांड़ बुण्डू ,थाना– बुण्डू जिला– राँची ने मौजा– बुण्डू, थाना– बुण्डू के खाता सं0–576, प्लॉट सं0–3959, रकवा–08डी0 मध्ये 03 डी0 (चौहदी उ0–रवि घोष द0–सनातन मछुवा,पू0–रोड,प0–मनोज मछुवा) जमीन को प्रथम पक्ष के नाम से मोवलीक एक लाख पैतीस हजार रूपये मात्र में एकरारनामा हो गया एवं दिनांक 22.09.2014 एवं अन्य दिनांक को द्वितीय पक्ष के कमांक 01 एवं 02 के माता के साथ रूपये को प्राप्त किये है। कुल रूपये एक लाख पैतीस हजार प्राप्त कर द्वितीय पक्ष के माता सारथी देवी पति स्व0 चामरा मछुवा ने विवादित जमीन को प्रथम पक्ष के नाम निबंधक बिकय पट्टा लिख दिया। प्रथम पक्ष विवादित जमीन को प्राप्त कर दखलकार हुए एवं आवासीय मकान भी बनाये है। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का कभी भी दखल में नहीं है। द्वितीय पक्ष विवादित जमीन को जबरजस्ती कब्जा करना चाहते है। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों शांति भंग होने की संभावना है। उन्होने द0 प्र0 सं0 की धारा–144 के तहत प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं इसी नियम में द्वितीय पक्ष के विरूद्ध प्रतिबंधित किया जाय।

प्रथम पक्ष के एकपक्षीय बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन एवं दाखिल किये कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित जमीन को प्रथम पक्ष निबंधक बिकय पत्र से प्राप्त किये है, के आधार पर दावा कर रहे है। वाद में द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने

29.08.17

की संभावना बनी हुई है। द0 प्र0 सं0 की धारा–144 के तहत प्रथम पक्ष के हित मे रिक्त एवं इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध प्रतिबंधित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

29/08/17
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू।

29/08/17
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:11:39 +05:30
Location: 10.93.79.10